कुलसचिव
Registrar

प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर
10436
12

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

दिनांक : अगस्त, 2015
17 जुलाई 2017

कार्यालय आदेश

शैक्षिक सत्र 2017–18 में स्नातक स्तर पर प्रवेश में छात्र/छात्राओं की कठिनाईयों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, की परिनियमावली के परिनियम 12क.26 एवं 12क.27 में उक्त के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान हैः–

12क.26–"**किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।**"

12क.27–"**किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में कोई नया अनुभाग खोलने के पूर्व अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग, उनकी अर्हताएं और वेतन, नये अनुभाग की अध्यापन सारिणी, उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।**"

अतः ऐसे महाविद्यालय जो उक्त प्राविधान के अंतर्गत सीट वृद्धि चाहते हो, दिनांक **25.07.2017** तक अधोलिखित अद्यतन विवरण के साथ विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें –

1. महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत प्राचार्य एवं समस्त प्राध्यापकों का विवरण।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की छाया प्रति।
3. अनुमोदित प्रवक्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. प्राध्यापकों का अद्यावधिक वेतन भुगतान का प्रमाण।
5. वेतन भुगतान किये जानें सम्बन्धी महाविद्यालय के खाते का बैंक स्टेटमेंट।
6. महाविद्यालय में उपलब्ध व्याख्यान कक्षों का विवरण।
7. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का विवरण।
8. सत्र **2017–18** में अब तक प्रवेशित समस्त्र छात्र/छात्राओं की संख्या विषयवार।
9. प्रयोगशालाओं के सुसज्जित होने का विवरण।
10. संदर्भित विषयों/पाठ्यक्रम हेतु शासन/विश्वविद्यालय से प्रदत्त सम्बद्धता की अनुमति पत्र में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा उपर्युक्त के सम्बन्ध में संलग्न किये जाने वाले समस्त सत्यापित अभिलेखों के सत्य होने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में रू0 100/– के नोटरीयुक्त फोटो सहित शपथ पत्र।

निर्धारित समयावधि के **पश्चात एवं उक्त सूचना** के बिना उपलब्ध कराये गये प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

पत्रांक :कु0स0–2 B स0अ0/12267/विविध आ0– **32**–स्नातक सीट वृद्धि–2017/2017 तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वैयक्तिक सहायक–कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से कि अपने महाविद्यालय से सम्बंधित सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायें।
3. प्रबंधक/प्राचार्य, समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

कुलसचिव